

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

मिसल संख्या 341/2024

वाद पत्र :- घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उनवानी

अशोक कुमार पुत्र प्रभुदयाल उम्र 53 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी विज्यावली वार्ड नम्बर 6 कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

बनाम

रामा देवी पत्नी झण्डूराम उम्र 87 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 17 ढाणी बावडी तन् बबाई तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) हाल निवासी वार्ड नम्बर 6 कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2024	<p>आज यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादी की ओर से उनके अभिभाषक श्री हेमराज सिंह ने पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई।</p> <p>प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। एडमिट स्तर पर ही अधिवक्ता वादी को सुना गया।</p> <p>वादी के द्वारा कृषि भूमि के ईकरारनामा के आधार पर जरिये नोटेरी किये गये बेचान को लेकर हस्तगत वाद पत्र के जरिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है, जो एक सिविल प्रकृति का मामला है। न्यायालय हाजा को इस प्रकार के वाद में सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है तथा जमाबन्दी के अवलोकन से पाया कि वादग्रस्त भूमि स्थित राजस्व ग्राम बबाई खसरा नम्बर 492, 493, 494 एवं 497 कुल किता 4 कुल रकबा 1.10 हेक्टेयर के संबंध में एक सिविल वाद माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी के यहां विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थना पत्र संख्या 38/2020 द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया है वे विवादित भूमि का स्थानान्तरण किसी अन्य को ना करें। रामा देवी पत्नी श्री झण्डूराम जाति माली हस्तगत वाद की प्रतिवादी संख्या 1 माननीय सिविल न्यायालय के रथगन आदेश से पाबन्द है। फिर भी वादग्रस्त भूमि का जरिये ईकरारनामा के वादी को बेचान किया है तथा वादी के द्वारा तथ्य छुपाकर उक्त वाद राजस्व न्यायालय में पेश किया।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप वादी का हस्तगत वाद पत्र पोषणीय नहीं होने से एडमिट स्तर पर ही अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा सिविल वाद के तथ्य को छुपाकर हस्तगत वाद पत्र पेश करने के जुर्म में वादी को 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि वादी न्यायालय हाजा में जमा करावे। मिसल दर्ज रजिस्टर होकर, नम्बर से कम हो तथा वाद तकभोल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(वन्शी धर यांगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी